- :: भाग 9 :: -

सुझाव

अपने शोध कार्य के अंतर्गत जिलाधीश तथा जिला प्रशासन से सम्बन्धित अनेक समस्यायें प्रकाश में आयी हैं जिनके निवारण हेतु निम्न निदानात्मक सुझाव प्रस्तुत हैं :-

<u>सामान्य प्रशासन</u> :

1- जिलाधीश को जनसम्पर्क, मुख्य रूप से ग्रामीण जन सम्पर्क अधिक करना चाहिये । इससे जनता की समस्याओं का निवारण तो होगा ही, साथ ही राजस्व चुकाने में लोग उदासीनता नहीं दिखावेंगे ।
(परिशिष्ट-2 की प्रश्नावली के प्रश्ना सं0 21, 22, 25 तथा 32 की प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर)

2- राजस्व वसूली में सद्भावना का अधिक उपयोग किया जाना चाहिये, तथा प्रक्रिया की आचार संहिता बननी चाहिये जिसके अंतर्गत अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ।
(परिशिष्ट-2 की प्रश्नावली के प्रश्न सं0 38 की प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर)

3- जिलाधीश को भूमि लेखों तथा सरकारी योजनाओं के प्रति अधिक दिलचस्पी रखनी चाहिये, इसके लिये ताड़ना तथा प्रोत्साहन दोनों नीतियां प्रयोग की जानी चाहिये ।
(प्रश्न सं0 2 की प्रतिक्रिया के आधार पर)

4- जिला तथा तहसील मुख्यालयों पर पूछताछ कार्यालय, मार्गदर्शक पट्ट, तथा सूचना पट्ट लगाये जाने चाहिये ताकि आगंतुक को सही जानकारी मिल सके ।
(क्षेत्रीय कार्य के सर्वेक्षण के आधार पर)

5- ग्राम स्तर पर संचार व्यवस्था होनी चाहिये ।
(सर्वेक्षण के आधार पर)

6- जिला तथा तहसील स्तर पर अग्नि शामक दस्ता होना चाहिये ।
(सर्वेक्षण के आधार पर)

7- तहसील स्तर पर क्षेत्राधिकारी को तहसील में ही रहना चाहिये । उसका निवास भी तहसील में ही होना चाहिये तथा उसका न्यायालय भी तहसील में ही होना चाहिए

ताकि छोटे-2 कार्यों के लिये लोगों को जिला मुख्यालय न जाना पड़े ।[1]

8- पूर्ति विभाग का निरीक्षक स्तर का कार्यालय तहसील में ही होना चाहिये तथा पूरे सप्ताह उसे चीनी, घी, सीमेंट इत्यादि के आबंटन का अधिकार होना चाहिये ।[2]

9- तहसीलदार का मुख्य कार्य 'क्षेत्रीय' होना चाहिये, तथा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का भार भी उसी पर होना चाहिये तथा क्षेत्राधिकारी को क्षेत्र में उसके कार्यो पर देखरेख रखनी चाहिये ।[3]

10- अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन एक स्वतंत्र पद होना चाहिये तथा नियोजन एक अलग अप्रभावित स्वतंत्र अभिकरण होना चाहिये तथा जिलाधीश का उस पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । इससे जिलाधीश का कार्य भार घटेगा ।[4]

11- आयुक्त का पद प्रभावशाली बनाया जाना चाहिये या समाप्त कर दिया जाना चाहिये । (प्रशासनिक समस्याओं के आधार पर)

12- जिले में प्रत्येक विभाग एक स्वतंत्र अभिकरण होना चाहिये और जिलाधीश को केवल अनियमितताओं के विषय में हस्तक्षेप का अधिकार होना चाहिये ।
(प्रशासनिक समस्याओं के आधार पर)

13- अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन के समानान्तर एक तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिये ।
(प्रशासनिक समस्याओं के आधार पर)

14- आरक्षी अधीक्षक पर जिलाधीश का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिये ।
(प्रश्न सं० 13 की प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर)

---

[1] क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा जन साक्षात्कारों के आधार पर ।

[2] वही

[3] वही

[4] वही

15- कानून तथा व्यवस्था के मामले में जिलाधीश प्रतिबद्ध होना चाहिये ।
(प्रश्न सं0 45 की प्रतिक्रिया के आधार पर)

16- अति प्रमुख व्यक्तियों के जिले में भ्रमण के बीच जिलाधीश उनके साथ भ्रमण नहीं करेगा, यह नियम बनना चाहिये । इससे जिलाधीश का काफी समय बच जायेगा ।
(प्रश्न सं0 35 की प्रतिक्रिया के आधार पर)

17- सरकारी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये जिलाधीश तथा जिला प्रशासन को सद्भावना बरतनी चाहिये ।
(प्रश्न संख्या 38 की प्रतिक्रिया के आधार पर)

18- अन्य कुछ राज्यों की भाँति उत्तर प्रदेश में भी कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक कर देना चाहिये ।
(प्रश्न सं0 6 तथा 19 की प्रतिक्रिया के आधार पर)

19- आकार के आधार पर जिलों का उत्तर प्रदेश में पुनर्गठन किया जाना चाहिये ताकि प्रशासन में सरलता आ सके ।
(प्रश्न सं0 18 की प्रतिक्रिया के आधार पर)

20- शस्त्र अधिपत्र देने हेतु जिलाधीश की सुविधा के लिये एक जन परामर्शदात्री समिति बनायी जानी चाहिये ।
(अनुसंधानिक तथ्यों के आधार पर)

21- शस्त्र अधिपत्र देने से पूर्व तहसील जाँच समाप्त कर दी जानी चाहिये केवल आरक्षी जाँच होनी चाहिये ।
(अनुसंधानिक तथ्यों के आधार पर)

22- समस्त विकास कार्य अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन के निर्देशन में पंचायती राज्य प्रशासन को सौंप दिये जाने चाहिये ।
(अनुसंधानिक तथ्यों के आधार पर)

23- नलकूप के लिये हर विकास खंड में सामान भंडार तथा मिस्त्री होने चाहियें जो

निर्धारित दर पर नलकूप लगायें ।
(अनुसंधानिक तथ्यों के आधार पर)

24- जिले का एक सरकारी पत्र निकाला जाना चाहिये जिसमें नयी योजनाओं, प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले लाभों, सूचनाओं, अपराध, आँकड़ों, अभियोजनों, विचाराधीन प्रकरणों, दंडित किये गये अधिकारियों, खाद, तेल, बीज, यंत्र उद्योग, शिक्षा तथा योजनाओं की सफलता, असफलता के आँकड़े तथा सूचनायें दी जानी चाहियें । इस पत्र में प्रशासन के विषय में भी जनता को शिक्षित किया जाना चाहिये । यह पत्र सरल भाषा में होना चाहिये तथा बहुत कम मूल्य पर वितरित किया जाना चाहिये ।
(अनुसंधानिक तथ्यों के आधार पर)

25- जिले के राजनैतिक दलों के साथ जिलाधीश को सद्भावना का व्यवहार करना चाहिये ।
(अनुसंधानिक तथ्यों के आधार पर)

26- विद्यार्थियों तथा उनके नेताओं के साथ जिलाधीश को सम्पर्क रखना चाहिये तथा रचनात्मक कार्यों के लिये उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिये । इससे प्रशासन तथा विद्यार्थियों के बीच सद्भावना बढ़ेगी ।
(अनुसंधानिक तथ्यों के आधार पर)

27- समस्त प्रार्थना-पत्रों का तुरन्त निबटारा किया जाना चाहिये । विशेष प्रकार के प्रार्थना-पत्रों के निबटाने के लिये समय घोषित किये जाने चाहिये कि अमुक कार्य हेतु प्रार्थना-पत्र अमुक अवधि के भीतर निबटा दिया जावेगा, इस प्रकार की सूचनायें सूचना पट्टों पर लिखी जानी चाहियें ।
(प्रश्न सं० 10 की प्रतिक्रिया के आधार पर)

28- जिलाधीश को भ्रष्ट नेताओं, दलालों, वकीलों, कर्मचारियों, अधिकारियों इत्यादि की सूची रखनी चाहिये तथा इस प्रकार के लोगों पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिये तथा ताड़ना देते रहना चाहिये ।
(प्रश्न संख्या 11 व 12 की प्रतिक्रिया के आधार पर)

29- हरिजनों पर अत्याचार न हों इसके लिये जिलाधीश तथा आरक्षी अधीक्षक प्रतिबद्ध होने चाहियें ।[1]

30- जिलाधीश को हरिजनों को अधिकार तथा सुविधायें दिलाने का प्रयत्न करना चाहिये । बेकार तथा खाली भूमि हरिजनों को दिलवानी चाहियें । इस जिले में इस विषय में बहुत कम कार्य हुआ है ।[2]

31- जिले के चीनी, मिट्टी उद्योग के विकास के लिये अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिये । क्योंकि विदेशी मुद्रा अर्जन में यह उद्योग सहायक है ।[3]

32- रिश्वत तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये जिले में एक अभिकरण की स्थापना होनी चाहिये जिसके अध्यक्ष जिलाधीश तथा जिलान्यायाधीश हों ।
(प्रश्न सं0 11 व 12 की जन प्रतिक्रिया के आधार पर)

33- जिलाधीश की कार्यपद्धति तुरन्त कार्य निबटाने वाली होनी चाहिये, तथा कागजी कार्यवाही को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये ।
(प्रश्न सं0 23 की जन प्रतिक्रिया के आधार पर)

34- गंभीर मामलों में जिलाधीश को स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण करना चाहिये ।
(प्रश्न सं0 26 की प्रतिक्रिया के आधार पर)

35- जिलाधीश तथा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों द्वारा की गयी यात्रा, कारण, ईंधन इत्यादि का विवरण एक पंजिका में लिखना चाहिये तथा उक्त पंजिकाओं की समय समय पर जाँच होनी चाहिये ।
(प्रश्न सं0 27 की प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर)

36- जिलाधीश तथा क्षेत्राधिकारियों, तहसीलदारों की शिकायत पुस्तिकायें होनी चाहिये जिनमें जनता अपनी शिकायतें लिख सकें । इन पुस्तिकाओं की समय समय पर

---

[1] अनुसंधानिक तथ्यों के आधार पर ।

[2] वही

[3] वही

जाँच होनी चाहिये तथा एक बाहर के अधिकारी द्वारा इनका प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना चाहिये ।
(अनुसंधानिक तथ्यों के आधार पर)

37- जिलाधीश तथा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों द्वारा जनता से उपहार इत्यादि लेने पर कड़े प्रतिबंध लगाये जाने चाहियें ।
(प्रश्न सं0 29 की प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर)

38- जिलाधीश तथा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों पर निजी दावतों में जाने पर इसकी सूचना दर्ज कराना आवश्यक होना चाहिये जिसकी समय समय पर जाँच होती रहनी चाहिये ।
(प्रश्न सं0 30 की प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर)

39- जिलाधीश के सभा भवन के बाहर कोई भृत्य नहीं रहना चाहिये तथा लोगों को मुलाकात करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये । सभा भवन में जिलाधीश को मंच पर नहीं बैठना चाहिये, जनता के समानान्तर बैठना चाहिये ।
(प्रश्न सं0 33, 34 व 37 की प्राप्त जन प्रतिक्रिया के आधार पर)

40- जिलाधीश का कार्यकाल एक जिले में कम से कम तीन वर्ष होना चाहिये ।
(प्रश्न सं0 41 की प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर)

41- जिलाधीश को राजनैतिक पक्षपात बिल्कुल नहीं करना चाहिये तभी वह जनता का विश्वास प्राप्त कर सकता है ।
(अनुसंधानिक तथ्यों के आधार पर)

42- जिलाधीश को जिला प्रशासन में जातीय आधार पर पक्षपात को बंद कराना चाहिये ।
(प्रश्न सं0 43 की प्रतिक्रिया के आधार पर)

43- जिलाधीश को जनता के साथ नम्र तथा उदार व्यवहार करना चाहिये ।
(प्रश्न सं0 36 की प्रतिक्रिया के आधार पर)

44- जिलाधीश को जनता के साथ, स्थिति, धन, राजनीतिक स्थिति, शिक्षा, श्रेष्ठता किसी भी आधार पर पक्षपात नहीं करना चाहिये तथा सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिये ।

(प्रश्न सं0 28 व 34 की प्रतिक्रिया के आधार पर)

<u>अपराध प्रशासन</u>:

1- जिला न्यायाधीश को अपराध प्रशासन का प्रतिवेदन तिमाही प्रेषित किया जाना चाहिये (जिलाधीश सालाना प्रतिवेदन भेजता है) ।[1]

2- अपराध आंकड़ों की निर्धारित समय पर जाँच होनी चाहिये, क्योंकि ये प्राय: गलत प्रस्तुत किये जाते हैं, या ध्यान न दिये जाने पर गलत हो जाते हैं ।[2]

3- जिले में हर समय एक दंडाधिकारी नियुक्त रहना चाहिये तथा उसे मुख्यालय में उपस्थित रहना चाहिये । इसे 24 घन्टे प्रतिभूतियाँ लेने का अधिकार दिया जाना चाहिये तथा तहसीलों एवं जिला मुख्यालय पर सूचनापट्ट पर इन दंडाधिकारियों के नाम, कार्य के घन्टे तथा स्थान लिखे रहने चाहिये । इन दंडाधिकारियों के कार्य के घन्टे बदलते रहने चाहिये ।[3]

4- प्रतिभूति के विषय में जनअभियोजक का प्रतिवेदन या संस्तुति आवश्यक नहीं होनी चाहिये ।[4]

5- प्रतिभूति के लिये जटिल प्रक्रिया समाप्त करनी चाहिये तथा यदि कार्यपालिक दंडाधिकारी प्रतिभूति लेने से इन्कार करते हैं तो मुंसिफ दंडाधिकारियों को प्रतिभूति लेने का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिये ।[5]

---

[1] अनुसंधानिक तथ्यों के आधार पर ।

[2] वही

[3] वही

[4] वही

[5] वही

6- मुंसिफ दंडाधिकारियों को आरक्षी थानों की देखरेख तथा अनियमिततायें जाँचने का उत्तरदायित्व देना चाहिये ।[1]

7- बदमाशों, शातिर चोरों, लुटेरों तथा अभ्यस्त अपराधियों की सूचियां समय समय पर प्रकाशित होती रहनी चाहिये ।[2]

8- आरक्षी अधिकारियों की क्षेत्र के आधार पर अपराधों की रोकथाम के विषय में प्रतिबद्धता होनी चाहिये ।[3]

9- आरक्षी अन्वेषण विधि वैज्ञानिक बनायी जानी चाहिये ।[4]

10- आरक्षी थानों तथा चौकियों पर अपराध की प्रथम सूचना के पश्चात् तुरन्त कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिये । देरी होने पर दंड की व्यवस्था होनी चाहिये ।[5]

11- आरक्षी अधीक्षक तथा उप आरक्षी अधीक्षक की पदोन्नति का एक आधार यह भी होना चाहिये कि उसने कितने अधिक आरक्षी अधिकारियों या कर्मचारियों को निलम्बित किया है या दंड दिया है ।[6]

12- आरक्षी थानों में संचार, तथा परिवहन की व्यवस्था अति सुदृढ़ होनी चाहिये तथा आधुनिक शस्त्रों की कमी नहीं होनी चाहिये ।[7]

13- आरक्षी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को बेंत या डंडा या लाठी ले कर चलने पर प्रतिबंध होना चाहिये । नियम तोड़ने वालों को कड़ी सजायें दी जानी चाहिये । (प्रश्न सं0 9 की जन प्रतिक्रिया के आधार पर)

14- आरक्षी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतनमान बढ़ाये जाने चाहिये तथा उन्हें चिकित्सा, यात्रा, आवास, वस्त्र, बच्चों की शिक्षा तथा अतिरिक्त कार्य समय के भत्ते दिये जाने चाहिये ।[8]

---

[1] अनुसंधानिक तथ्यों के आधार पर

[2] वही

[3] वही

[4] वही

[5] वही

[6] वही [7] वही [8] वही

15- हवालातों की दशा सुधारी जानी चाहिये तथा जेलों के वातावरण में भी सुधार किये जाने चाहियें ।[1]

16- अभियोजन तथा अभियुक्त को बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिये ।[2]

17- आरक्षी द्वारा मारपीट तथा दुर्व्यवहार की शिकायत पुस्तिका थानों तथा आरक्षी चौकियों पर उपलब्ध होनी चाहियें, तथा मांगने पर न देने के लिये कड़ी विभागीय सजायें दी जानी चाहियें ।[3]

18- तहसील तथा उपक्षेत्र स्तर पर नागरिक समितियाँ गठित की जानी चाहियें तथा नागरिक समिति के कम से कम पाँच व्यक्तियों को हर समय आरक्षी थानों तथा चौकियों पर जाँच करने का अधिकार होना चाहिये ।
(प्रश्न सं० 9 की प्रतिक्रिया के आधार पर)

19- आरक्षी थानों तथा चौकियों पर इस प्रकार के पट्ट प्रमुख स्थानों पर लगाये जाने चाहिये :
(प्रश्न सं० 9 की प्रतिक्रिया के आधार पर)

"किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को, किसी भी व्यक्ति, अपराधी या अभियुक्त को, मारने पीटने, गाली देने, या दुर्व्यवहार करने का अधिकार नहीं है । यदि कोई ऐसा करता है तो वह गैर कानूनी कार्य करता है । ऐसी स्थिति में आपको विरोध करने का पूर्ण अधिकार है । शिकायत पुस्तिका में अपनी शिकायत लिखिये, या लिखवाइयें ।"

"अभियुक्त को मारपीटकर अपराध की स्वीकृति कराना, पुलिस अधिकारियों की अयोग्यता है । अपने कार्यों के सम्पादन में कानून न तोड़िये, ताकि आपमें व अपराधी में अंतर मालूम पड़ सकें ।"

"यदि आप जन सहयोग चाहते हैं तो जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें व उनका विश्वास प्राप्त करें ।"

---

[1] अनुसंधानिक तथ्यों के आधार पर ।

[2] वही

[3] वही

" आप जो कुछ करते हैं उसे दुनिया देखती है, ईश्वर के नाम पर न अपने को धोखा दें न दूसरों को "

(दि० प० के सौजन्य से)

" पुलिस जनता की रक्षक है, उसे भक्षक बनने का अवसर न दें ।"

"बुराई का डटकर विरोध करें, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला अधिक अपराधी है ।

"महात्मा गांधी"

20- बम्बई आरक्षी अधिनियम 1951 की भांति जिलाधीश तथा आरक्षी अधीक्षक के बीच जो सम्बन्ध है वही अपनाना चाहिये इससे अपराध प्रशासन अधिक कुशल होगा ।[1]

21- जिलाधीश को आरक्षी अधीक्षक तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की गुप्त प्रतिवेदन तथा अपने विचार दर्ज करने की शक्तियाँ होनी चाहिये ।[2]

22- महानिरीक्षक आरक्षी को भी जिलाधीश से आरक्षी अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों के उनके कार्यों तथा आचरण के विषय में प्रतिवेदन मंगाना चाहिये ।[3]

23- जिलाधीश को यह शक्तियां मिलनी चाहियें कि वह जिला आरक्षी बल की शिकायतों की स्वयं जांच कर सके तथा आरक्षी बल व्दारा सताये, धमकाये, या अन्य अत्याचार किये गये व्यक्तियों की शिकायतों की स्वयं जांच करके सम्बन्धित अधिकारियों को निलम्बित कर सकें, तथा उनके विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में भेज सकें । और यदि जिलाधीश ऐसा नहीं करता तो उसकी सेवा पंजिका में यह दर्ज किया जाना चाहिये तथा उसकी पदोन्नति रोक देनी चाहिये ।[4]

24- आरक्षी अधीक्षक तथा अधीनस्थ अधिकारियों को जिलाधीश के आदेश का पालन करने के लिये प्रतिबद्ध होना चाहिये ।[5]

25- आरक्षी अधीक्षक को थानाध्यक्ष के स्थानान्तरण के विषय में जिलाधीश का मत जानना चाहिये ।[6]

---

[1] प्रश्न सं० 13 की प्रतिक्रिया के आधार पर ।
2 वही
3 वही
4 वही 5- वही 6- वही

26- आरक्षी अधीक्षक को चाहिये कि वह जिलाधीश को अपराधों से सम्बन्धित सारे प्रतिवेदन तथा आंकड़े दें ।[1]

27- समस्त प्रकरण जिला स्तर पर 6 माह से अधिक नहीं चलने चाहिये । जिलाधीश को इस विषय में विशेष प्रयास करने चाहियें ।
(अनुसंधानिक तथ्यों के आधार पर)

---

[1] प्रश्न सं0 13 की प्रतिक्रिया के आधार पर ।